जनरल मैनेजर, दक्षिण रेलवे बनाम रंगाचारी
ए.आई.आर. एस.सी. 36

तथ्य

प्रतिवादी रंगाचारी ने संविधान के अनुच्छेद 226 के अधीन मद्रास उच्च न्यायालय में एक याचिका फाइल की। उच्च न्यायालय ने परमादेश जारी करके अपीलकर्ता, अर्थात जनरल मैनेजर, दक्षिण रेलवे ,और कार्मिक अधिकारी (आरक्षण), दक्षिण रेलवे,को रेलवे बोर्ड के उन निर्देशों को कार्यान्वित करने से रोक दिया जिनमें रेलवे सेवा की श्रेणी III के प्रवरण पदों, में उन व्यक्तियों के विरुद्ध जो कोर्ट इन्सपेक्टर की श्रेणी III के पदों पर काम कर रहे थे, जिसमें एक पद पर प्रतिवादी स्वंय काम कर रहा था, अनुसूचित जातियों और जनजातियों के आरक्षण का आदेश दिया गया था रिट जारी करने के बाद अपीलकर्ता ने प्रमाणपत्र के लिये आवेदन दिया और उसे उच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 132(1) के अधीन स्वीकार कर लिया क्योंकि उसमें विधि संबंधी महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया गया था अर्थात अनुच्छेद16(4) का अधिकार क्षेत्र।

विवाद्यक(इशू)

(i) क्या अनुच्छेद 16(4) के अधीन पदोन्नति के समय भी आरक्षण किया जा सकता है या केवल प्रारम्भिक नियुक्ति के समय।

(ii) अनुच्छेद 16(4) में केवल पिछड़े वर्गों का उल्लेख है। क्या पिछड़े वर्ग शब्द के अंतर्गत अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियां भी आती हैं? उच्चतम न्यायालय के सामने इस विषय में कोई विवाद न था।

(iii) क्या आरक्षण के आदेश को पूर्वव्यापी माना जा सकता है?

बहुमत का निर्णय

पांच न्यायमूर्तियों की बेंच में दो के मुकाबले में तीन न्यायमूर्तियों ने मद्रास उच्च न्यायालय के निर्णय को उलट दिया और यह विचार व्यक्त किया गया कि आरक्षण ने अनुच्छेद 16(4) की सीमा का उल्लंघन नहीं किया है इसलिये वैध है। बहुमत के विचार से अनुच्छेद 16(1) में नियोजन संबंधी मामलों के अंतर्गत केवल प्रारम्भिक नियुक्तियां ही नहीं बल्कि पदोन्नति और इसी प्रकार के अन्य मामले जैसे वेतन, आवधिक वेतन वृद्धियां, छुट्टी की शर्तें, उपदान (ग्रेजुटी) पेंशन और सेवा निवृत्ति की आयु भी आती है। अनुच्छेद 16(4) अनुच्छेद 16(1) का अपवाद है, किन्तु पिछड़े वर्गों के बारे में नियुक्ति और पदोन्नति के अलावा अन्य मामलों में अपवाद नहीं हो सकता । ''पद'' का आशय

सेवा से बाहर के पद य संवर्ग वाह्य पदो से नहीं है। अनुच्छेद 16(4) के अंतर्गत प्रारम्भिक नियुक्ति और पदोन्नति दोनों आती है। न्यायालय के विचार में आरक्षण की व्यवस्था पूर्वव्याप्ति सहित या पर-व्याप्ति सहित भी की जा सकती है। सरकार को प्रतिनिधित्व की व्यवस्था करने से पूर्व देख लेना चाहिए कि पिछड़े वर्गों का प्रतिनिधित्व गुणात्मक एवं मात्रात्मक दृष्टि से पर्याप्त नहीं है।

''सामाजिक एवं शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गो का उन्नति के लिये केवल यही अपेक्षित नहो है कि उन्हें सेवा में प्रवरण पदों पर पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्रदान किया जाए।''

न्यायालय का यह भी मत था कि अनुच्छेद 16(4) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते समय ''हमेशा यह प्रयत्न करना चाहिए कि पिछड़े वर्गो के दावे तथा अन्य कर्मचारियों के दावे के बीच एक उचित संतुलन बना रहे और साथ-साथ प्रशासन की कुशलता भी बनी रहे।''

बहुमत ने इसीलिये अपील स्वीकार कर ली। मद्रास उच्च न्यायालय का निर्णय उलट गया और रिट के लिये प्रतिवादी का आवेदन रद्द कर दिया गया।

अल्पमत का निर्णय

बांचू और आयंगर, दोनों न्यायमूर्तियों ने यह विचार व्यक्त किया कि आरक्षण अनुच्छेद 16(4) की सीमा के बाहर है इसलिये उनके विचार से अपील खारिज कर दी जानी चाहिए।

न्यायमूर्ति बहुमत के इस निर्णय से सहमत थे कि अनुच्छेद 16(4) को संविधान के अनुच्छेद 335 के साथ पढ़ा जाए और उस खण्ड में ''पदों'' का अर्थ सेवा के अन्तर्गत पदों से लिया जाए उससे बाहर के पदों से नहीं। किन्तु वे बहुमत के इस विचार से सहमत न थे कि पद शब्द में प्रवरण पद और प्रारम्भिक नियुक्तियां दोनों आती हैं। उनके विचार में "नियुक्ति" और ''पद'' दोनों का आशय प्रारम्भिक नियुक्ति से हीं है। उन्होंने यह मत व्यक्त किया:

''नियुक्तियों के आरक्षण का अर्थ सेवा में प्रारम्भिक नियुक्तियों के आरक्षण की प्रतिशतता से है। पदों का अर्थ सेवा के कुल पदों से है जब उन पदों के संदर्भ में आरक्षण का उल्लेख किया जाता है तो इसका आशय सेवा में पदों की कुल संख्या में आरक्षण की प्रतिशतता से है।''

यह निष्कर्ष इस आधार पर निकाला गया कि अनुच्छेद 16(4) के अधीन सभी पदों या नियुक्तियों का आरक्षण करने से अनुच्छेद 16(1) के अधीन प्रदत्त मौलिक अधिकारों का हनन होगा।

इसके अतिरिक्त अनुच्छेद 16(4) अनुच्छेद 16(1) का अपवाद है और संविधान के निर्माताओं का यह इरादा नहीं था कि इसकी व्याख्या इस प्रकार की जाए कि मुख्य उपबंध व्यर्थ हो जाए । यह भी कहा गया कि अनुच्छेद 16(4) के अधीन अधिसंख्यक नियुक्तियों या पदों के आरक्षण से अनुच्छेद 16(1) के अन्तर्गत प्रदत्त मौलिक अधिकार पूरी तरह समाप्त नहीं हो जाएंगे फिर भी इसे ''वास्तव में भ्रामक'' बना देगें, जो कि संविधान के निर्माताओं का इरादा नहीं था। न्यायमूर्ति आयंगर, न्यायमूर्ति बांचू के इस विचार से सहमत थे कि आरक्षण केवल प्रारम्भिक नियुक्ति के लिये किया जा सकता है इसलिये अपील खारिज कर दी जाए।

यह बहुमत की इस राय से सहमत न थे कि अनुच्छेद 16(4) के अंतर्गत आरक्षण पूर्व-व्याप्ति सहित अथवा पर-व्याप्ति सहित किया जा सकता है। उनके विचार में उस खण्ड में केवल भविष्य में कार्रवाई किये जाने पर विचार किया गया है। उन्होंने निम्नलिखित विचार व्यक्त किया:

''यदि आज कहीं अपर्याप्तता है तो पूर्वव्याप्ति सहित आरक्षण का प्रभाव जैसा कि आक्षेप-ग्रस्त अधिसूचना के कारण हुआ है यह होगा कि आज जारी किये गये आदेश से भूतकाल के अपर्याप्त प्रतिनिधित्व का निराकरण हो जाएगा। मेरी राय में, आरक्षण के लिये प्रदत्त शक्ति के प्रयोग में ऐसा नहीं सोचा गया है, यह केवल भविष्य के लिये हीं है" चूंकि इस विषय पर बहस नहीं की गई इसलिये उन्होंनें इसे अपने निर्णय का आधार नहीं माना।

अधिकथित प्रतिपादना

अनुच्छेद 16(4) के अन्तर्गत प्रारम्भिक नियुक्तियां और पदोन्नतियां दोनों हीं होती है,आरक्षण पूर्वव्याप्ति और पर-व्याप्ति दोनों प्रकार से हो सकती है।